

दिल्ली बमुकदमें ईवादाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 त्या प्रक्रिया संहिता
 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 मुकदमा नम्बर- 197 / 2019

1. सुभाषचन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
 हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. औमप्रकाश पुत्र ख्यालीराम } जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला
2. सुरजभान पुत्र औमप्रकाश } हनुमानगढ।
3. कृष्णादेवी पत्नी कृष्णलाल पुत्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील
 नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कौशल्या पत्नी आशाराम पुत्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील
 नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रामीदेवी पत्नी दलीप कुमार पुत्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी टिडीयासर तहसील
 नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते
 इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन
 जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया
 जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से चकनं० 16 एस.एल.
 डबल्यू के खातासं० 18/19 में कुल 5.136 है० आराजी में वादी व प्रतिवादीसं० 1 व 2
 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 16 एस.एल. डबल्यू
 के खातासं० 18/19 में से प्रतिवादीसं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये
 जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक
 ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया
 जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय
 शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02.08.2019 को जारी
 किया गया।



(मीनू वर्मा)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी